

# कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

## निविदा



## 2014–2015

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक  
चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय भवन में  
मधुमख्खी, चूहों एवं काकरोच तथा मच्छर उन्मूलन  
(पेट्स कन्टोल) एवं आवारा जानवरों की रोकथाम हेतु द्वितीय  
निविदा का प्रारूप एवं शर्ते ।

निविदा फार्म का मूल्य रु. 1000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक.....

रसीद क्र.....

दिनांक.....

## निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करेंगे।

प्रति ,

### **संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक**

### **गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा**

विशयः— गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में मधुमख्बी, चूहों एवं काकरोच तथा मच्छर उन्मूलन हेतु निविदा।

संदर्भः— स्थानीय समाचार पत्र.....के दिनांक.....के संस्करण में प्रकाशित आपका विज्ञापन क्र.....  
.....दिनांक.....

श्रीमान,

विषयान्तर्गत हम/मैं गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में मधुमख्बी, चूहों एवं काकरोच तथा मच्छर उन्मूलन हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपनी निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

मुझे निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी शर्ते मजूर हैं।

1. निविदाकर्ता का नाम.....
2. संस्था/दुकान/कम्पनी का नाम एवं शील.....
3. संस्था/दुकान/कम्पनी का पूर्ण पता.....मोबाइल नं.....  
.....कार्यालय फोन नं.....निवास फोन नं.....
4. उपरोक्त कार्य करने का विगत 1 वर्ष का विवरण (आवश्यक होने पर अलग से सीट लगायें).....
5. आयकर रथाई लेख नं. (पैन नं.).....
6. रजिस्ट्रेशन/दस्तावेजों की छायाप्रति जो संलग्न करना आवश्यक है:-
  - धरोहर राशि रु. 50000.00 (पचास हजार ) की एफ.डी.आर जो एक वर्ष के लिये वैध हो तथा संयुक्त संलालन एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के नाम से अनुबंधित हो।
  - आयकर रिटर्न के रसीद की छायाप्रति वित्तीय वर्ष 2013–014 (एसेसमेंट वर्ष 2014–15 )
  - कीटनाशक दवाईयों के उपयोग एवं भण्डारण के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञा पत्र ।
  - पैन कार्ड की छायाप्रति ।
  - 100.00 रु राशि के नान जूडिसियल स्टाम्प पैपर पर शपथ पत्र मूलतः ।
  - अनुभव प्रमाण पत्र (पूर्व में संस्थानों को प्रदाय सेवा की सूची)
  - गांधी स्मारक चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी से संबंध यदि हो तो.....
  - अन्य कोई विवरण.....

**निविदाकार के हस्ताक्षर  
संस्था की सील**

# गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

## निविदा प्रपत्र

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय भवन में मधुमख्खी, चूहों एवं काकरोच तथा मच्छर उन्मूलन (पेट्स कन्ट्रोल) एवं आवारा जानवरों की रोकथाम हेतु द्वितीय निविदा

2014–15

### नियम एवं शर्तें

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय, संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय, संलग्न वार्डों एवं संलग्न भवन में वर्तमान में कार्यरत स्थिति में कॉकरोचों, चूहों एवं लगे हुए मधुमख्खियों के छत्तों के उन्मूलन एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु निम्न शर्तों पर शील बन्द लिफाफो पर निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म एवं शर्तें निविदा फार्म एवं शर्तों की प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 25.10.2014. तक कार्यालयीन समय में अपरान्ह 3 बजे तक रु. 1000/- (एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफट संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम से जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदायें दिनांक 03.11.2014 अपरान्ह 3.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निविदायें दिनांक 05.11.2014 को दोपहर 12.30 बजे अधिष्ठाता चि. महा. रीवा के सभागार में खोली जायेगी। जिसमें निविदाकार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
2. मधुमख्खियों के उन्मूलन हेतु छत्तों को हटाया जाना, मधुमख्खियों का दोबारा जमा ना होना, मरीजों एवं उनके परिजनों तथा स्टॉफ तथा स्व्यं की सुरक्षा को देखते हुए यह कार्य कुशलता से एवं फूलपूफ मैथड एवं पर्यावरण तथा पर्णतः सुरक्षित विधि से किया जाना है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
3. चूँहों के उन्मूलन हेतु वार्डों में, कृत्रिम छतों के अन्दर, वातानूकूलित वेंट के अन्दर, शौचालयों, शवगृह, आकस्मिक चिकित्सा विभाग तथा बाह्य रोगी चिकित्सा विभाग, कार्यालयीन भवनों, चिकित्सालय परिसर में नालियों से सम्पूर्ण उन्मूलन एवं नियंत्रण करना सम्मिलित होगा।
4. पेस्ट कन्ट्रोल से वार्डों में समस्त विस्तरों, साईड टेबलों, दवा ट्रालियों, कुर्सियों, वाश वेशिनों, शौचालयों, वार्डों में संलग्न कमरों, डाक्टर ड्यूटी रूम, सिस्टर ड्यूटी रूम एवं अन्य समस्त कमरों तथा उपकरणों, आकस्मिक चिकित्सा विभाग तथा बाह्य रोगी चिकित्सा विभाग, कार्यालयीन भवनों से पूर्णतः उन्मूलन एवं प्रभावी नियंत्रण अनिवार्य होगा। पेस्ट कन्ट्रोल के उपयोग में होने वाले केमिकल

- की समस्त जानकारी एवं चेतावनी पूर्व में देनी होगी जिससे सुरक्षित जगहो पर रख कर इनका उन्मूलन कराया जा सके। तथा यह कार्य आपको सुरक्षा मानको के अनुरूप कराना होगा।
5. निविदाकार को सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सेवाकर मे छूट प्राप्त हो तो संबंधित विभाग का तदाशय का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
  6. निविदा के साथ निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2013–014 (एसेसमेंट वर्ष 2014–15) की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  7. निविदाकार को सम्बंधित कार्य का 5000 वर्गफिट में निर्मित बहुमंजिला भासकीय/अर्धशासकीय भवनों विशेस कर चिकित्सालय में कम से कम 500 बिस्तरों के चिकित्सालय में पेस्ट कन्ट्रोल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
  8. उपरोक्त कार्य हेतु संलग्न किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या, परिचय पत्र प्रमाणीकरण, एवं कार्य हेतु अनुभव उपयोगिता सम्बंधि प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
  9. उपरोक्त कार्य हेतु लगने वाले उपकरणों/दवाइयों/सामग्रियों का वित्तीय भार निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा जिस हेतु निविदा में समस्त संबंधित जानकारियाँ तकनीकी बिड में देना अनिवार्य होगा।
  10. निविदाकर्त्ता द्वारा जो दर टेन्डर फार्म मे अंकित की जावेगी वह केन्द्र तथा राज्य शासन के सभी प्रकार के अंशदानों, टैक्सों, शुल्कों एवं आयकर आदि को मिलाकर होना चाहिये।
  11. उपरोक्त कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु निविदाकार स्वयं उत्तरदायी होगा। कार्य के दौरान अथवा उसके बाद भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटना समस्या हेतु चिकित्सालय/ महाविद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार्य होगा।
  12. फर्म की किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण मेडिकल कालेज, चिकित्सालय में भर्ती मरीजो स्टॉफ /अथवा उसकी सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की हानि एवं चोरी होने पर फर्म से वसूली योग्य होगी एवं यह वसूली जमा की गयी सिक्यूरिटी राशि व धरोहर राशि एवं फर्म के देयक की राशि मे से नियमानुसार वसूल की जा सकेगी। यदि किसी प्रकार की हानि मेडिकल कालेज से संबंध चिकित्सालयों को नहीं होती है तो उस स्थिति मे फर्म को उक्त राशि समयावधि के पश्चात् मूलतः वापिस की जावेगी। धरोहर राशि एवं सिक्यूरिटी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। फर्म से स्त्रोत पर आयकर नियमानुसार कटौती योग्य होगा।
  13. सभी विवादों के निपटारे हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध को बिना पूर्व सूचना व किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सामहाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का होगा।
  14. यदि स्वीकृत निविदादाताओं के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण आपसी चर्चा कर किया जावेगा तथा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक कार्यवाही के लिये न्यायिक क्षेत्र रीवा होगा।
  15. निविदाकार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की समस्त देयक एवं वैधानिक एवं वित्तीय सभी प्रकार की जवाबदेही निविदाकार की होगी।

16. राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सभी करों एवं शुल्कों की दरों के बारे में प्रमाण के तौर पर केन्द्र एवं राज्य शासन के संबंधित आदेशों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. निविदा प्रपत्र मे केवल राशियों अंकित की जावेगी उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या नोट या शर्त लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
18. उपरोक्त ठेके के संदर्भ मे प्रत्येक प्रकरण मे अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
19. अगर तकनीकी बिड में किसी कारणवश एक ही फर्म/संस्था निर्धारित योग्यता रखती है तो उसी फर्म/संस्था को जनहित में ठेका दिया जा सकेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही मूल्य बोली खोली जाकर निर्णय लिया जावेगा।
20. राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सभी करों एवं शुल्कों की दरों के बारे में प्रमाण के तौर पर केन्द्र एवं राज्य शासन के संबंधित आदेशों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
21. निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी एक शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा प्रतिस्पर्धा से बाहर रखी जा सकेगी। जिसके लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी रहेंगी। तथा इस संबंध मे किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
22. उपरोक्त प्राप्त दरों पर संबंधित निविदाकारों से निगोसियेशन का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को होगा।
23. किसी कारणवश यदि निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत् नियम, शर्तों एवं उसी दर पर निविदा कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा।
24. प्राप्त निविदाओं को बगैर कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को होगा।
25. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार स्वयं के खर्च पर निर्धारित रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प लाकर इकरारनामा सात दिन के अन्दर लिखित रूप मे संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा जिस पर दोनों पक्षकरों के हस्ताक्षर होंगे, प्रस्तुत करना होगा।
26. निविदादाता को निविदा की शर्तों के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।
27. पेस्ट कन्ट्रोल के कर्मचारी चिकित्सालय मे किसी प्रकार की गैरकानूनी कार्य नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों उवं उनके परिजाने से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
28. निविदाकार के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद न होने पर या भर्ती मरीजों व उनके परिजनों के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण मे ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसका पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा। तथा धरोहर राशि की पूरी अथवा अंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।
29. निविदाकार के द्वारा अपनी ओर से दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

30. निविदा फार्म क्रय शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।

निविदाकार द्वारा उपयुक्त कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल अधोहस्ताक्षरकर्ता /अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा से अनुमोदन प्राप्त कर किया जावेगा एवं काकरोच एवं कीड़े, मच्छर, मखबी इत्यादि एवं प्रजनन ख्यल न हो तथा अस्पताल मे इसकी उपस्थित न हो इसको सुनिश्चित करना होगा। तथा कुत्ते, सुअर, बिल्ली जो प्रायः प्रांगण मे घूमते रहते हैं उनकी भी रोकथाम की समूचित व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

## आवेदन प्रस्तुत करना

आवेदन प्रस्तुत करना :— निविदा आवेदन जमा करते समय निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है:—

1. सील बन्द आवेदन तीन भिन्न लिफाफों मे प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
2. प्रत्येक लिफाफों पर गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय भवन में मधुमखी, चूहों एवं काकरोच तथा मच्छर उन्मूलन (पेट्स कन्टोल) एवं आवारा जानवरों की रोकथाम हेतु निविदा वर्ष 2014–15 लिखा जाना आव यक है।
3. लिफाफों पर क्रम T:— “A” “B” “C” बडे—बडे साफ अक्षरों में अंकित किया जावेगा।
4. लिफाफा “A” में अर्नेस्ट मनी राशि रु. 50000.00 (पचास हजार) मात्र की एक वर्ष अवधि तक की सावधि डिपाजिट की राश्ट्रीयकृत बैंक की राशि रसीद जो रीवा में देय तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के पक्ष में जारी हो।
5. लिफाफा “B” में सम्पूर्ण मूल आवेदन पत्र मूलतः (जो कार्यालय द्वारा बेचा गया था) के प्रत्येक पन्ने पर संस्था के समक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर संस्था की सील लगा (निविदा आवेदन की नियम व शर्तों को मानने के प्रमाण स्वरूप) तथा पूर्ण भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सील बंद किया जाना चाहिये।
6. लिफाफा “C” में निविदाकर्ता संस्था को अपनी दरें संलग्न प्रारूप में भरकर सील बंद किया जाना चाहिये। तीनों लिफाफों को बडे लिफाफा में रखकर सील बंद करना होगा।
7. आवेदनकर्ता को अपना पता स्पष्ट व पूर्ण जिसमें दुकान/मकान नं/गली, सडक कालोनी, शहर साफ—साफ लिखना चाहिये। यह पता सत्यापन योग्य होना चाहिये।
8. गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा से प्रदत्त आवेदन पत्र के किसी भी शब्द अथवा अंको को काटने विलोपित करने या भाब्द बदलने की अनुमति नहीं होगी।
9. फर्म/ संस्था का रजिस्ट्रेशन (छायाप्रति) जिसमें व्यवसाय कालम में निविदाकृत कार्य का उल्लेख करना अनिवार्य है ऐसा नहीं होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
10. आयकर रिटर्न के रसीद की छायाप्रति एसेसमेंट वर्ष 2014–15 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकर्ता को संलग्न शपथ पत्र प्रारूप में न्यूनतम दर/किसी संस्था में जांच जारी न रहने/काली सूची में न होने संबंधी भापथ पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

### सामान्य निर्देश :—

1. निविदा खोलते समय प्रथम लिफाफा “A” खोला जावेगा। उन्ही निविदाकार्ताओं का लिफाफा “B” खोला जावेगा। जिनका “A” में संलग्न संतुष्टिकारक होवेंगे। प्राइस बिड लिफाफा “C” उन्ही निविदाकार्ताओं का खोला जावेगा जिनकी तकनीकी निविदा सभी भार्ती का पूर्ण करेंगी।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. किसी भी चाहे गये संलग्न की अनुपस्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. अस्पष्ट व अपूर्ण निविदा अस्वीकृत किये जावेंगे।
5. जिनकी निविदा स्वीकृत नहीं होगी उन निविदाकर्ताओं की अर्नेस्ट मनी रु. 50000.00 (पचास हजार) लौटा दी जावेगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

## 100 रु0 (एक सौ रु.) के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करें

### घोषणा पत्र ( अपथ पत्र)

1. मैं/हम भारत के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय में तथा म.प्र. भासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत नहीं किया गया है हमारी संस्था को किसी भी शासकीय/अद्व्यु शासकीय/स्वशासी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य की किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. मैं/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी संबंधित नहीं हैं।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई./ शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लंबित नहीं है।
9. मेरे/ हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नहीं है।

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....  
व पता.....
2. गवाह का नाम.....  
व पता .....

निविदाकार के हस्ताक्षर

- संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....  
पता.....  
संस्था का नाम एवं पता.....  
.....

(लिफाफा ए मे रखे)

## धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. राशि रु. ....
- .....
2. एफ.डी.आर. क्रमांक.....
- .....
3. जारी होने का दिनांक.....
- .....
4. जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम व शाखा.....
- .....
- .....

दिनांक :—

निविदाकर्ता/सेवादाता के हस्ताक्षर

नाम एवं पूर्ण पता  
संस्था की सील

## **Information of Tenderer**

Registerd Name

Address

Telephone no

Office

Fax

E-Mail Address

Bank Account No.

Branch/IFSC Code

TIN NO

Pan

**Signature  
Rubber Stamp**

## चेक लिस्ट (लिफाफा बी रखने हेतु)

### (संलग्न दस्तावेत)

क्र.	निविदा के साथ वांछित आवयक दस्तावेज	निविदाकार द्वारा टिक्किया जावे	क्रय समिति द्वारा किया जाये।
1.	मूल निविदा प्रपत्र मे प्रत्येक पृश्ठ पर हस्ताक्षर व सीलयुक्त मूलतः।	हां / नहीं	हां / नहीं
2.	जमानत राशि के रूप में संयुक्त संचालक सह अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के नाम से रु. 50000.00 पचास हजार का एफ.डी.आर. क्र.... .....दिनांक.....एक वर्ष अवधि के लिये जमा मूलतः।		
3.	फर्म/संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति। जिसमे निविदाकृत कार्य व्यवसाय मे प्रदर्शित हो।		
4.	आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2013–014 (एसेसमेंट ईयर 2014–015)		
5.	पैन कार्ड की छायाप्रति		
6.	100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः।		
7.	अनुभव प्रमाण पत्र		
8.	कीटनाशक दवाईयों के उपयोग एवं भण्डारण के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञा पत्र।		
10	दर सूची (प्राइस बिड)		

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

## प्राइस बिड (लिफाफा सी मे रखने हेतु)

द्वारा

प्रति ,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

विशयः— श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय भवन में मधुमखी, चूहों एवं काकरोच तथा मच्छर उन्मूलन (पेट्स कन्टोल) एवं आवारा जानवरों की रोकथाम हेतु निविदा का प्रारूप एवं भार्ते।

महोदय,

आपके चिकित्सालय में मधुमखी, चूहों एवं काकरोच के तथा मच्छर उन्मूलन हेतु मैं निविदा की शर्तों को मान्य करते हुये निम्नानुसार दर प्रस्तुत कर रहा हूँः—

दर अंको मे प्रति माह

वार्षिक

दर शब्दो मे प्रति माह

वार्षिक

स्थानः—

निविदाकार के हस्ताक्षर.....

दिनांकः

निविदाकार का पूरा नाम.....

पूरा पता.....

टेलीफोन नं.....